रैगिंग

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है । इस संबंध में ''छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 '' पारित किया गया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है । इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

परिभाषा :-रैगिंग से अभिप्राय है कि है किसी छात्र/छात्रा द्वारा मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से रोकना, आपराधिक, दोषपूर्ण, अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उससे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी , दोषपूर्ण, अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल के प्रयोग ।

रैगिंग का प्रतिषेध :-किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नही लेगा ।

अपराधों का विचारण :-

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा

छात्र/ छात्रा के निष्कासन के लिए निर्योग्यता :-

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधिन अपराध के लिए अभियुक्त छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र / छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा ।

ऐसे छात्र /छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अन्तर्गत- कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरन उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया-कलापों में संलग्न जिससे नये छात्र के गुस्सा, अनावश्यक परेशाना, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका व भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतः नही कर सकता /सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान अनुभव होता हो , अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

छ.ग. राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग रोकथाम अधिनियम 2002,

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1995 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1 1995) अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है । किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना जो मानव मर्यादा के विपरित हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव, भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना ।

रैगिंग का स्वरूप :-

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है,संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है:-

स्पष्ट आदेश :-

- सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए ।
- सामूहिक कवायद करने के लिए ।
- सीनियरों के क्लास-नोट्स उतारने के लिए ।
- अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए ।
- सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए ।
- अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए ।
- नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए ।
- शराब,उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना।
- कामुक संकेतार्थ वाले कार्य-समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
- ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
- नग्न करना, चुंबन लेना आदि।
- अन्य अश्लीलताएँ करना।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दंड :-

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा-परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से प्रवेश निरस्त किया जाना।
8. आर्थिक दंड रु.25000/- तक।

उपर्युक्त ये यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।